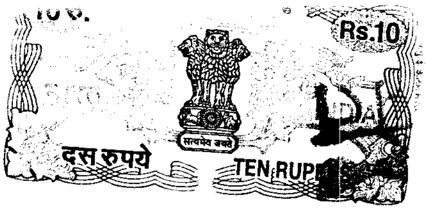

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. जिला ग्वालियर

निगरानी कमांक /2014

1. मनोज कुमार पुत्र स्व. श्री नाथूराम झा, आयु– 35 वर्ष, व्यवसाय–दुकानदारी,
2. शुभम पुत्र स्व. श्री श्रीकृष्ण झा, आयु– 18 वर्ष, व्यवसाय–दुकानदारी,

दोनों निवासीगण– पानी की टंकी के पास, मोहना, उपतहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर म.प्र. ....निगरानीकर्तागण

बनाम

नायब तहसीलदार वृत्त मोहना उप तहसील घाटीगांव जिला ग्वालियर

प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता विरूद्ध सूचना पत्र दिनांक 19/06/2014 अंतर्गत धारा 248 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 म.प्र.भू.राजस्व संहिता, 1959 जिसके द्वारा निगरानीकर्ता की आधिपत्य की दुकान स्थित उप कृषि मण्डी समिति मोहना जिला ग्वालियर को रिक्त करने तथा शास्ति रूपये 15540/–रूपये अधिरोपित किया गया है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमाक **निग0 2354–पीआईआर/14** जिला **ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–8–2014	आवदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता एव स्थगन पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह निगरानी तहसीलदार द्वारा जारी सूचना पत्र 19.6.14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को के दौरान बतलाया गया कि तहसीलदार के समक्ष संहिता की धारा 248 के अंतर्गत प्रकरण प्रचलित है, चूंकि प्रश्नाधीन भूमि मण्डी की है, इसलिये तहसीलदार को संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । तहसीलदार के समक्ष प्रकरण प्रचलित होने से आवेदकगण को उनके समक्ष सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वे क्षेत्राधिकार सम्बन्धी आपत्ति तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्री–मेच्योर होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	